पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 30/2024

अनवान :

विशाल यादव पुत्र गजानंद यादव जाति यादव निवासी अनुपशहर त0 भादरा।

:– वादी

बनाम

1. गजानंद पुत्र सुरजाराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सतवीर पूनियां एवं वकील प्रतिवादी श्री रोहताश सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 430/349 के ख0सं0 1006/759 की 1.3280 है0, ख0सं0 578 की 0.9110 है0, ख0सं0 582 की 1.2010 है0, ख0सं0 584 की 0.2530 है0, ख0सं0 745 की 6.7910 है0, ख0सं0 746 की 32.3750 है0, ख0सं0 748 की 3.6670 है0, ख0सं0 755 की 5.4380 है0, ख0सं0 756 की 6.4120 है0, ख0सं0 757 की 8.9160 है0, ख0सं0 758 की 13.0890 है0, ख0सं0 767 की 5.0590 है0, ख0सं0 768 की 0.5060 है0 गैर मुमकिन जोहड़, ख0सं0 769 की 0.1900 है0, ख0सं0 770 की 1.5430 है0, ख0सं0 772 की 1.4160 है0, ख0सं0 773 की 9.4850 है0 कुल 98.5800 है0(0.5060 है0 गैर मुमकिन जोहड़, 98.0740 है0 बारानी) वादभूमि में 913/13144 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त दर्ज वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 गजानंद का नाम कलमजन कर वादी विशाल यादव को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.12.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 12:58:12 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

विशाल यादव बनाम गजानंद आदि

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 30/2024

अनवान :

विशाल यादव पुत्र गजानंद यादव जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. गजानंद पुत्र सुरजाराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सतवीर पूनियां **: वादी**

वकील श्री रोहताश सहारण **: प्रतिवादी सं0 1**

दिनांक : 19.12.24

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 430/349 के ख0सं0 1006/759 की 1.3280 है0, ख0सं0 578 की 0.9110 है0, ख0सं0 582 की 1.2010 है0, ख0सं0 584 की 0.2530 है0, ख0सं0 745 की 6.7910 है0, ख0सं0 746 की 32.3750 है0, ख0सं0 748 की 3.6670 है0, ख0सं0 755 की 5.4380 है0, ख0सं0 756 की 6.4120 है0, ख0सं0 757 की 8.9160 है0, ख0सं0 758 की 13.0890 है0, ख0सं0 767 की 5.0590 है0, ख0सं0 768 की 0.5060 है0 गैर मुमकिन जोहड़, ख0सं0 769 की 0.1900 है0, ख0सं0 770 की 1.5430 है0, ख0सं0 772 की 1.4160 है0, ख0सं0 773 की 9.4850 है0 कुल 98.5800 है0(0.5060 है0 गैर मुमकिन जोहड़, 98.0740 है0 बारानी) वादभूमि में 913/13144 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 गजानंद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में वादी विशाल यादव पुत्र गजानंद यादव जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम अनुपशहर संवत 2075-78 खाता संख्या 430/349 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम अनुपशहर संवत 2075-78 खाता संख्या 73/365 प्रदर्श 2, जमाबंदी ग्राम अनुपशहर संवत 2075-78 खाता संख्या 472/219 प्रदर्श 3, शपथ पत्र गजानंद बाबत वारिस प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अनुपशहर प्रदर्श 5, जमाबंदी ग्राम अनुपशहर संवत 2071-74 खाता संख्या 349/330 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वा[illegible]वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। उक्त वादभूमि के अलावा गांव अनुपशहर के खाता सं0 [illegible]/365 [illegible] भनाई के खाता सं0 264/193 में प्रतिवादी संख्या 1 गजानंद के नाम हिस्सा दर्ज है जो आपसी [illegible] के अनुसार प्रतिवादी अकेले के नाम रहेगी तथा ग्राम अनुपशहर के खाता सं0 430/349 में प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 12:58:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम अनुपशहर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

Scanned with CamScanner

दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 व 5 में गजानंद के एक पुत्र विशाल यादव के अलावा सदस्य प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 430/349 के ख0सं0 1006/759 की 1.3280 है0, ख0सं0 578 की 0.9110 है0, ख0सं0 582 की 1.2010 है0, ख0सं0 584 की 0.2530 है0, ख0सं0 745 की 6.7910 है0, ख0सं0 746 की 32.3750 है0, ख0सं0 748 की 3.6670 है0, ख0सं0 755 की 5.4380 है0, ख0सं0 756 की 6.4120 है0, ख0सं0 757 की 8.9160 है0, ख0सं0 758 की 13.0890 है0, ख0सं0 767 की 5.0590 है0, ख0सं0 768 की 0.5060 है0 गैर मुमकिन जोहड़, ख0सं0 769 की 0.1900 है0, ख0सं0 770 की 1.5430 है0, ख0सं0 772 की 1.4160 है0, ख0सं0 773 की 9.4850 है0 कुल 98.5800 है0(0.5060 है0 गैर मुमकिन जोहड़, 98.0740 है0 बारानी) वादभूमि में 913/13144 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 गजानंद के नाम भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गजानंद का नाम कलमजन कर वादी विशाल यादव को खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 430/349 के ख0सं0 1006/759 की 1.3280 है0, ख0सं0 578 की 0.9110 है0, ख0सं0 582 की 1.2010 है0, ख0सं0 584 की 0.2530 है0, ख0सं0 745 की 6.7910 है0, ख0सं0 746 की 32.3750 है0, ख0सं0 748 की 3.6670 है0, ख0सं0 755 की 5.4380 है0, ख0सं0 756 की 6.4120 है0, ख0सं0 757 की 8.9160 है0, ख0सं0 758 की 13.0890 है0, ख0सं0 767 की 5.0590 है0, ख0सं0 768 की 0.5060 है0 गैर मुमकिन जोहड़, ख0सं0 769 की 0.1900 है0, ख0सं0 770 की 1.5430 है0, ख0सं0 772 की 1.4160 है0, ख0सं0 773 की 9.4850 है0 कुल 98.5800 है0(0.5060 है0 गैर मुमकिन जोहड़, 98.0740 है0 बारानी) वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 गजानंद का 913/13144 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त दर्ज वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 गजानंद का नाम कलमजन कर वादी विशाल यादव को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Kalpit

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 12:58:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner